कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/2(3)2021/22 दिनांकः 18/3/2021

आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2020/8077 दिनांक 21.09.2020 से बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र को बंध–बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के सम्पूर्ण क्षेत्र 646.56 हैक्टे वन भूमि को डी–नोटिफाईड करने हेतु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग राजस्थान जयपुर निवेदन किया गया था। इसी निरन्तरता में सहायक खनि अभियंता रूपवास जिला भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक/112 दिनांक 27.01.2021 से बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र को बंध–बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में से डी–नोटिफाईड कराने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के डायवर्जन एवं वन्य जीवन प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के अन्तर्गत Wildlife Clearance प्राप्त करने हेतु वन विभाग के पोर्टल "परिवेश" (https://parivesh.nic.in) पर आवेदन करने के संबंध में अवगत कराया गया है। साथ ही बंशी पहाडपुर तहसील रूपवास स्थित बंध बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य के ब्लॉक ए एव बी के सम्पूर्ण क्षेत्र 646.56 हैक्टे भूमि के डायवर्जन हेतु अन्य सिवायचक भूमि को आरक्षित किये जाने की मांग की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि शासन उप सचिव, राजस्व(ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पत्रांक प.2(17)राज–3/08 दिनांक 08.02.2008 से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या राजस्व/12/2(31)08 /31 दिनांक 08.02.2008 से 5094.33 हैक्टे भूमि एवं आदेश क्रमांक राजस्व/12/2(31)08/32 दिनांक 13.02.2008 से 138.24 हैक्टे कुल 5232.57 हैक्टे डीग/कामां क्षेत्र की राजकीय सिवायचक भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित/आवंटित की गयी थी। उक्त हस्तान्तरित/आवंटित भूमि में यह भी शर्त अंकित की गयी थी कि *"..................यह आवंटन वन विभाग के वन भूमि के स्वीकृत एवं विचाराधीन एवं डायवर्जन प्रस्तावों जिनके लिये भूमि आवंटन की जानी है एवं भविष्य में आने वाले डायवर्जन प्रस्तावों के लिये होगा।"*

उक्त संदर्भ में उप वन संरक्षक भरतपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1847 दिनांक 18.03.2021 से उक्त आवंटित/हस्तान्तरित 5232.57 हैक्टे भूमि में से डायवर्जन हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हिकरण(खसरा नम्बर, रकबा क्षेत्र सहित) कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा अपने पत्रांक एफ.(सर्वे)उवस/2020–21/1824 दिनांक 18.03.2021 से उक्तानुसार डायवर्जन हेतु कन्कान्चल पर्वत वन खण्ड को डायवर्जन हेतु उचित बतलाया है साथ ही यह भी अवगत कराया है कि कन्कान्चल वनखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1775.97 हैक्टे. है। उक्त कन्कान्चल वनखण्ड के कुल क्षेत्रफल 1775.97 हैक्टे (संलग्न सूची अनुसार) वन भूमि में से 1500 हैक्टे भूमि को आरक्षित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अतः उप वन संरक्षक भरतपुर द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर बंशी पहाड़पुर वन क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र (बंध–बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी का सम्पूर्ण क्षेत्र) की 646.56 हैक्टे वन भूमि के एवज में कन्कान्चल वनखण्ड के कुल क्षेत्रफल 1775.97 हैक्टे (संलग्न सूची अनुसार) वन भूमि को आरक्षित किया जाता है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर
भरतपुर

F:\Revenue\Allotment\gera allotment 3.docx

3451

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः राजस्व/12/2(3)2021/1850-1861 दिनांकः 18/3/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक/ उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर
3. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. उपखण्डाधिकारी, रूपवास/बयाना।
5. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा भरतपुर।
6. अधीक्षण खनि0 अभियन्ता भरतपुर का भेजकर लेख है कि बंध-बारैठा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के सम्पूर्ण क्षेत्र 646.56 हैक्टे वन भूमि को डी-नोटिफाईड कराने की कार्यवाही करावें।
7. तहसीलदार, बयाना/रूपवास
8. सहायक खनि अभियंता रूपवास
9. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, भरतपुर।
10. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर
भरतपुर

...-विज्ञान विभाग
रूपवास (भरतपुर)